

मनरेगा योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा

प्रलिस के लिये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र, मनरेगा और सतत् विकास लक्ष्य, कर्य शक्ति।

मेन्स के लिये:

मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र और संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक मूलभूत घटक है, हालिया समय में इस योजना में [भ्रष्टाचार](#) की उच्च दर योजना की सार्थकता को लेकर चिंता उत्पन्न करती है।

- हालाँकि इस कार्यक्रम में [सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ](#) जैसे तंत्र शामिल हैं, फिर भी फंड रकवरी और समग्र प्रभावशीलता के संदर्भ में हालिया आँकड़े नरिशाजनक हैं।

हालिया आँकड़े:

- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) में मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षा के परिणामों में **इस योजना के तहत ₹27.5 करोड़ की राशिकी हेराफेरी की जानकारी दी गई है।**
 - सुधारात्मक कार्रवाई करने के बाद यह राशि घटकर ₹9.5 करोड़ हो गई लेकिन अभी तक इसका केवल **₹1.31 करोड़ (कुल का राशिका 13.8%) ही रकिवर किया जा सका है।**
 - पछिले वित्तीय वर्षों में रकिवरी की दरों में रकिवरी संबंधी अक्षमता की समान प्रवृत्ति थी:
 - वित्तीय वर्ष 2022-23 में रकिवरी योग्य राशि ₹86.2 करोड़ थी, लेकिन केवल **₹18 करोड़ (कुल राशिका 20.8%) ही रकिवर की गई।**
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ₹171 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, फिर भी मात्र **₹26 करोड़ (कुल राशिका 15%) की रकिवर की जा सकी।**
- रकिवरी दरों में लगातार गिरावट **भ्रष्टाचार से निपटने में योजना की प्रभावशीलता** के लिये चिंता का वषिय है।
 - रकिवरी दरों में नतिनतर गिरावट पूरी लेखा परीक्षा प्रकरिया की विश्वसनीयता के लिये भी जोखिम उत्पन्न करती है। इससे मनरेगा की विश्वसनीयता और इसके उद्देश्य के संबंध में आमजन का विश्वास कम होने का एक अन्य खतरा है।

मनरेगा योजना:

- परचिय:** मनरेगा [ग्रामीण विकास मंत्रालय](#) द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, यह विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
 - यह वैधानिक न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।**
 - सकर्यि करमचारी: 14.32 करोड़ (2023-24)**
- प्रमुख वशिषताएँ:**
 - मनरेगा की **कानूनी गारंटी** है कि प्रत्येक ग्रामीण वयस्क कार्य का अनुरोध कर सकता है और उसे **15 दिनों के अंतर्गत रोजगार मलिना चाहिये।**
 - यदि यह प्रतबिद्धता पूरी नहीं होती है, तो **"बेरोजगारी भत्ता" प्रदान किया जाना चाहिये।**

- इसके अंतर्गत महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक-तहियाँ लाभार्थी पंजीकृत और रोजगार चाहने वाली महिलाएँ हों।
- मनरेगा की धारा 17 के तहत नषिपादति सभी कार्यों का सामाजकि लेखा-परीक्षण अनविर्य है।
- कार्यानवयन एर्जेसी: भारत सरकार का ग्रामीण वकिस मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मलिकर इस योजना के संपूरण कार्यानवयन की नगिरानी कर रहा है।
- उद्देश्य: यह अधनियम मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वयक्तियों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान कर ग्रामीणों की करय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कथि गया था।
 - यह देश में अमीर और नरिधन के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।



सामाजकि लेखापरीक्षा तंत्र:

परचिय:

- सामाजकि लेखापरीक्षा लोगों की सक्रयि भागीदारी के साथ आयोजति कार्यक्रम/योजना की जाँच और मूल्यांकन है तथा वास्तवकि स्थति के साथ आधिकारकि रकिर्ड की तुलना करता है।
 - यह सामाजकि परिवर्तन, सामुदायकि भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लयि एक शक्तिशाली उपकरण है।
 - यह वत्तिय लेखापरीक्षा से भन्न है। वत्तिय ऑडिट कसी संगठन के वत्तिय स्वास्थ्य का आकलन करने के लयि वत्तिय रकिर्ड की जाँच करते हैं, सामाजकि ऑडिट हतिधारकों को शामिल करके अपने सामाजकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रति करते हैं।

■ **MGNREGA के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र:**

■ **प्रावधान:**

- **MGNREGA की धारा 17** में MGNREGA के तहत नषिपादति सभी कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनविार्य कथिा गया है ।
- **योजना नथिमों की लेखापरीक्षा, 2011**, जसिे महात्मा गांधी राषुटरीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजनाओं की लेखापरीक्षा नथिम, 2011 के रूप में भी जाना जाता है, भारत के नथितरक और महालेखा परीक्षक (CAG) के सहयोग से ग्रामीण वकिस मंत्रालय द्वारा वकिसति कथि गए थे ।
- ये नथिम देश भर में पालन कथि जाने वाले सामाजिक ऑडिट की प्रकरथिाओं औसुशल ऑडिट यूनिट (Social Audit Unit-SAU), राज्य सरकार एवं MGNREGA के फीलड कार्यकरत्ताओं सहति वभिनिन संसुथाओं के करत्तव्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं ।

■ **संबंधति मुद्दे:**

- **फंड की कमी से जूझ रही इकाइयाँ:** सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयाँ अपर्याप्त वतितपोषण से जूझ रही हैं, जसिसे उनकी प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता बाधति हो रही है ।
 - केंद्र सरकार राज्यों से उनकी स्वतंत्रता सुनश्चिति करने के लथि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को धन प्रदान करती है ।
 - हालाँकि समय पर धन आवंटन न होने के कारण कर्नाटक और बहिर जैसे राज्यों में इकाइयाँ लगभग दो वर्षों तक बनिा धन के रहीं ।
- **प्रशकषण की कमी:** अपर्याप्त प्रशकषण और संसाधन कदाचार की पहचान करने में उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं ।
- **कार्मिक की कमी:** अपर्याप्त नथिक्तकिरण के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के लथि अपने करत्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना कठनि हो जाता है ।
- **कम रकिवरी दर:** गुजरात, गोवा, मेघालय, पुडुचेरी व लददाख सहति कई राज्यों ने पछिले तीन वर्षों में लगातार "शून्य मामले" और "शून्य रकिवरी" की सूचना दी है । इससे इन क्षेत्रों में नगिरानी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं ।
 - तेलंगाना जैसे राज्य, सकरथि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ होने के बावजूद, कम वसूली दर से जूझ रहे हैं ।

आगे की राह

- **हतिधारक जुड़ाव:** सामाजिक लेखा परीक्षा प्रकरथिा के मूल्यांकन और पुनः डज़िाइन में लाभार्थथिों, नागरकि समाज संगठनों, सरकारी अधिकारथिों एवं लेखा परीक्षकों सहति सभी हतिधारकों को शामिल करना ।
- साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु ज़मिेदार लेखा परीक्षकों के लथि प्रशकषण और क्षमता-नरिमाण कार्यकरर्मों में नविश करने की आवश्यकता है ।
- **मुखबरि संरक्षण:** MGNREGA परथिोजनाओं में अनथिमतिताओं या भ्रषुटाचार की रपिोर्ट करने वाले मुखबरिों की सुरक्षा के लथि एक सुदृढ तंत्र सुथापति करना । वयक्तथिों को प्रतशिोध के भय के बनिा आगे आने के लथि प्रोत्साहति करना आवश्यक है ।
- **सामुदायकि भागीदारी:** लेखा परीक्षा प्रकरथिा में सुथानीय समुदायों की सकरथि भागीदारी को बढ़ावा देना । उन्हें परथिोजना की प्रगति और नधि उपयोग की नगिरानी तथा रपिोर्ट करने के लथि सशक्त बनाना आवश्यक है ।
 - साथ ही समस्याओं के त्वरति समाधान के लथि ग्राम स्तर पर शकियत नविारण समतिथिों सुथापति करने की भी आवश्यकता है ।
- **फीडबैक तंत्र:** एक फीडबैक लूप सुथापति करना जहाँ लेखा परीक्षा नषिकर्षों का उपयोग MGNREGA कार्यकर्रम को बेहतर बनाने के लथि कथिा जाता है । प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना और नरितर सुधार की दशिा में कार्य करना ।

UPSC 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राषुटरीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम" से लाभान्वति होने के पात्र हैं? (2011)

- (a) केवल अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (c) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (d) कसिी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)